दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली :

निर्णय की तिथि : 05 अक्टूबर, 2023

निम्न मामले में:

रि (सि).या.7865/2023

प्रशांत रेड्डी टी .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एन.साई विनोद, अधिवक्ता

बनाम

सी. पी. आई. ओ., भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी और
श्री रवि चंद्र प्रकाश,अधिवक्तागण

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमण्यम प्रसाद

निर्णय

1. याचिकाकर्ता, केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पारित आदेश को इस सीमा तक चुनौती देना चाहता है कि उसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू. आई. डी. ए. आई.) द्वारा अपनी ओर से शिकायत निवारण से निपटने के लिए बाहरी संगठन के साथ किए गए समझौतों की प्रति देने से इनकार कर दिया है।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित जानकारी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके *बाद 'आर. टी. आई. अधिनियम' के* रूप में संदर्भित) के तहत एक आवेदन दायर कियाः

> *"1.कृपया बताएँ कि क्या यू. आई. डी. ए. आई. ने शिकायत निवारण के संबंध में कोई नीति या नियम बनाए हैं। यदि ऐसा है, तो कृपया इसकी एक प्रति प्रदान करें।*
>
> *2. कृपया बताएँ कि क्या यू. आई. डी. ए. आई. ने अपनी ओर से शिकायत निवारण के प्रबंधन के लिए किसी बाहरी संगठन को नियुक्त किया है। यदि ऐसा है तो कृपया से बाहरी संगठन के साथ अनुबंध की एक प्रति प्रदान करें।*
>
> *3. यदि यू. आई. डी. ए. आई. आंतरिक रूप से शिकायत निवारण को संभाल रहा है, तो कृपया उन कर्मियों की संख्या बताएँ जिन्हें उनके क्रमांक के साथ नौकरी सौंपी गई है।*
>
> *4. कृपया 1 जनवरी, 2016 से शिकायत निवारण तंत्र द्वारा प्रबंधित शिकायतों की संख्या बताएँ।*

3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा अभीष्ट सूचना और प्रदत उत्तर इस प्रकार हैः

अभीष्ट सूचना	उत्तर
1. कृपया बताएँ कि क्या यू. आई. डी. ए. आई. ने शिकायत निवारण के संबंध में कोई नीति या नियम बनाए हैं।यदि ऐसा है, तो कृपया वैसी ही इसकी एक प्रति प्रदान करें ।	1. यह पुष्टि की जाती है कि प्रासंगिक सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। कृपया यू. आई. डी. ए. आई. की वेबसाइट पर जाएँ - www.uidai.gov.in.
2. कृपया बताएँ कि क्या यू. आई. डी. ए. आई. ने अपनी ओर से शिकायत निवारण को संभालने के लिए किसी बाहरी संगठन को नियुक्त किया है। यदि ऐसा है तो कृपया बाहरी संगठन के साथ अनुबंध की एक प्रति प्रदान करें ।	2. हां, आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (घ) के तहत अनुबंध के आगे की प्रति प्रदान नहीं की जा सकती है।
3. यदि यू. आई. डी. ए. आई. आंतरिक रूप से शिकायत निवारण को संभाल रहा है, तो कृपया उन कर्मियों की संख्या बताएँ जिन्हें उनके क्रमांक के साथ नौकरी सौंपी गई है।	3. आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (घ) के तहत आंतरिक रूप से शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है।इसके अलावा, अधिक जानकारी के लिए आप यू. आई. डी. ए. आई. जा सकते हैं। www.uidai.gov.in.
4. कृपया 1 जनवरी, 2016 से शिकायत निवारण तंत्र में की गई शिकायतों की संख्या बताएँ।	4. यह सूचित किया जाता है कि आपके आर. टी. आई. आवेदन में मांगी गई सूचना धारा 2(च) आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 के तहत 'सूचना' की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं ।

4. उपरोक्त तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (आर.टी.आई.ओ) ने पूछताछ में शामिल प्रश्न सं. 2,3 और 4 के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। सूचना से इनकार से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील दायर की । प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता *द्वारा* दायर अपील को दिनांक 29.04.2022 के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 19 *(3)* के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) के समक्ष दूसरी अपील दायर की। वर्तमान रिट याचिका में यहां दिए गए आदेश के अनुसार, केन्द्रीय सूचना आयोग ने निम्नानुसार निर्देश दिया थाः

"प्रेक्षणः

दिनांक 07/03/2022 के आरटीआई आवेदन की विषयवस्तु का अवलोकन करने के बाद, आयोग ने शुरुआत में पाया कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना प्रश्ननार्थ और जिज्ञासु प्रकृति के थे। ऐसे मामलों में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी. पी. आई. ओ.),आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 के तहत कोई स्पष्टीकरण या राय प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है चूकी, यह तथ्यगत स्पष्टीकरण या राय प्राप्त करने वाली प्रवृति का है और आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत जानकारी के रूप में शामिल नहीं होता है। इस संदर्भ में सी. बी. एस. ई. बनाम ***आदित्य बंदोपाध्याय, 2011 में भारत*** *के* ***माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का भी संदर्भ दिया गया था। (8) एस. सी. सी. 497*** *जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः*

35..... "किसी आवेदक को "सलाह" या "राय" देने की भी आवश्यकता नहीं है, न ही किसी आवेदक को कोई "राय" या "सलाह" प्राप्त करने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 2 (च) में "सूचना" की परिभाषा में "राय" या "सलाह" का संदर्भ केवल सार्वजनिक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध ऐसी सामग्री को संदर्भित करता है जो कई लोक प्राधिकरणों, जनसंपर्क अभ्यास के रूप में, नागरिकों को सलाह, मार्गदर्शन और राय प्रदान करते हैं। लेकिन यह विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है और इसे आर. टी. आई. अधिनियम "के तहत किसी भी दायित्व के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।"

इसलिए, आयोग ने अपीलार्थी के कानूनी सलाहकार को भविष्य में आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुरूप विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी।

निश्चित रूप से, प्रश्न सं. 1, अपीलकर्ता के कानूनी सलाहकार ने प्रासंगिक विनियमों/नीतियों के विशिष्ट वेब लिंक की मांग की, इसलिए, सी. पी. आई. ओ. को वही प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

प्रश्न सं. 2 के संबंध में आयोग ने नोट किया कि सी. पी. आई. ओ. को आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार अपने शिकायत निवारण कार्य को संभालने वाले बाहरी संगठनों के नाम प्रदान करने चाहिए थे।यह भी ध्यान दिया गया कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी निजी फर्म के साथ किए गए अनुबंध की प्रति अनुबंध पूरा होने के बाद ही प्रदान की जा सकती है।यदि अनुबंध मौजूद है और उसका निर्वहन नहीं किया गया है, तो आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा-8 (1) (च) का प्रतिबंध आकर्षित होता है।इस संबंध में रिलायंस को झारखंड राज्य बनाम नवीन कुमार सिन्हा ***और ए.***

आई. आर. 2008 झार 19 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय की *खण्ड पीठ की टिप्पणियों पर रखा गया था।अपीलकर्ता ने अपने मुख्य आर. टी. आई. आवेदन में उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया है जिसके लिए यह जानकारी मांगी गई थी, इसलिए यह माना जाता है कि यू. आई. डी. ए. आई. के शिकायत निवारण कार्य को संभालने वाले वर्तमान संगठन के लिए जानकारी मांगी जा रही है। चूंकि वर्तमान बाहरी संगठन के साथ अनुबंध मौजूद है और उसे खत्म नहीं किया गया है, इसलिए आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा-8 (1) (च) के प्रतिबंधों के मद्देनजर अपीलकर्ता को इसकी प्रति प्रदान नहीं की जा सकती है।इसलिए, सी. पी. आई. ओ. को केवल शिकायत निवारण कार्य को संभालने वाले बाहरी संगठन का नाम प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।*

आयोग ने यह भी राय दी कि शिकायत निवारण को देखने वाले कर्मचारियों के आंकड़े और शिकायत निपटान मामले की संख्या को देखते हुए जैसा कि क्रमशः बिंदु संख्या 3 और 4 में मांगा गया है , आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रकटीकरण योग्य है । इन आंकड़ों को नकारने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ड.में छूट खंड के आवेदन में कोई योग्यता और आधार नहीं है। इसलिए (, सी. पी .आई .ओ .को इन बिंदुओं पर संशोधित उत्तर देने का निर्देश दिया जाता है। सी. पी. आई. ओ. ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया है कि आंकड़े केवल तीन साल की अवधि के लिए रखा गया था, इसलिए, आयोग ने उन्हें तीन साल की अवधि के लिए रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी और रिकॉर्ड के अनुसार शिकायतों की कुल संख्या प्रदान करने का निर्देश दिया।

निर्णयः

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग सी. पी. आई. ओ. को प्रश्न सं.1 में मांगी गई विशिष्ट वेब-लिंक प्रदान करने का निर्देश देता है।, प्रश्न सं.2 के लिए अपने शिकायत निवारण कार्य को संभालने वाले बाहरी संगठनों के नाम तथा प्रश्न सं. 3 के लिए आंतरिक रूप से शिकायत निवारण कार्य को संभालने वाले कर्मचारियों की संख्या और पूछताछ सं.4 के लिए निपटाई गई शिकायतों की संख्या , अपीलकर्ता को उपलब्ध करने का निर्देश देता है । उक्त जानकारी प्रदान करते समय, सी. पी. आई. ओ. यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी, यदि कोई हो, तो आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा-10 के अनुसार संशोधित और ढकी हुई हो। इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर सी. पी. आई. ओ. द्वारा आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए ।

5 सी. आई. सी. ने कहा कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर यू. आई. डी. ए. आई. की वेबसाइट लिंक www.uidai.gov.in पर याचिकाकर्ता को विधिवत प्रदान किया गया था। जहाँ तक प्रश्न संख्या 2 का संबंध है, सी. आई. सी. ने कहा कि सी. पी. आई. ओ. को आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार अपने शिकायत निवारण कार्य को संभालने वाले बाहरी संगठन का नाम प्रदान करना चाहिए था। हालांकि, सी. पी. आई. ओ. ने याचिकाकर्ता को यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा एक निजी फर्म के साथ किए गए अनुबंध की प्रति के प्रावधान से इस आधार पर इनकार कर दिया कि अनुबंध अभी सक्रिय था । सी. आई. सी. की राय थी कि चूंकि अनुबंध अभी प्रयोग में था और समाप्त नहीं हुआ था, अत: आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (घ) लागू रहा ।

सूचना आयोग ने झारखंड राज्य बनाम नवीन कुमार सिन्हा और अन्य , ए. आई. आर. 2008 झार 19 के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले **पर भरोसा जताया । केन्द्रीय सूचना आयोग** ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया है जिसके लिए उसके मुख्य आर. टी. आई. आवेदन में जानकारी मांगी गई थी, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता द्वारा यू. आई. डी. ए. आई. के शिकायत निवारण कार्य को संभालने वाले वर्तमान संगठन के लिए जानकारी मांगी जा रही है। अतः सी. आई. सी. ने अभिनिर्धारित किया है, चूंकि वर्तमान बाहरी संगठन के साथ अनुबंध मौजूद है और उसका निर्वहन नहीं किया गया है, इसलिए अनुबंध की प्रति आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (घ) के प्रतिबंध को देखते हुए याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की जा सकती है।

6. जहां तक प्रश्न 1 और 4 का संबंध है, केन्द्रीय सूचना आयोग ने सी. पी. आई. ओ. की राय को दरकिनार कर दिया और सी. पी. आई. ओ. को इन बिंदुओं पर संशोधित उत्तर देने का निर्देश दिया। सी. पी. आई. ओ. को शिकायत निवारण कार्य संभालने वाले कर्मचारियों के आंकड़ों और निपटाई गई शिकायतों की संख्या का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था । सी. पी. आई. ओ. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील जानकारी को आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अनुसार उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

7. केंद्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) द्वारा पारित दिनांक 20.03.2023 के आक्षेपित आदेश के हिस्से को यू ए डी ए आई की ओर से शिकायत निवारण निपटान के लिए एक बाहरी संगठन के साथ यू.आई.डी.ए.आई द्वारा दर्ज किए गए अनुबंध की प्रति के खुलासे से इनकार कर दिया, उक्त मामले को वर्तमान

रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि आधार वित्तीय और अन्य) सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण मअधिनिय, 2016 (इसके बाद 'आधार अधिनियम' के रूप में संदर्भित की धारा (23 (2) (ढ सुविधा केंद्रों की (स्थापना के लिएआधार प्रदान करती है और साथ ही व्यक्तियों, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है । उनका कहना है कि ये तंत्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी समझौतों की प्रकृति के हैं और ये समझौते आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत "सूचना" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि समझौते की प्रति आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (घ) के अनुसार छूट के तहत नहीं आ सकती है क्योंकि इसमें कोई वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा शामिल नहीं है, जिसका खुलासा किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा ।

9. याचिकाकर्ता ने अपील सं. 1 में पारित केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) की तीन सदस्यों की पीठ के फैसले पर निर्भरता दिखाई है । **श्री नवरोज मोदी** बनाम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मामले में सी. आई. सी./ए. टी./ए./2009/000964 जिसमें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और एक बाहरी एजेंसी के बीच हुए निजी-भागीदारी समझौते का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।

10. *इसके विपरीत,* प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आधार अधिनियम की धारा 23 (2) (ड) में प्रावधान है कि प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत विनियमों, डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट कर सकता है। वह धारा 54 (2) (त) पर भरोसा करता है जो प्राधिकरण को धारा 23 की उप-धारा (2) के धारा (त) के तहत डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों

से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति देता है।

11. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान् अधिवक्ता ने न्ययालय का ध्यान आधार (डेटा सुरक्षा) विनिमय , 2016 (इसके बाद (विनिमय 201 6 के रूप में संदर्भित और विशेष रूप से विनियमों 3(1), 3(2)(ड और (3(2)(थ) की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है और यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकरण और उसके कर्मियों द्वारा अपनाए जाने वाले तकनीकी और संगठनात्मक उपायों के साथसाथ प्राधिकरण - द्वारा नियुक्त एजेंसियों, सलाहकारों, परामर्शदाता और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने वाली सूचना सुरक्षा नीति को निर्दिष्ट कर सकता है, जो प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसी, अनुरोध करने वाली संस्थाओं और प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियों द्वारा नियुक्त किया गया है और सुरक्षा नीति धोखाधड़ी की रोकथाम के उपायों के लिए प्रदान कर सकती है और धोखाधड़ी के मामले में प्रभावी उपाय।।इसलिए उनका कहना है कि यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा किसी बाहरी एजेंसी के साथ किए गए अनुबंध में ऐसे धाराओं का प्रावधान है जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान 2016 के विनियमों के विनियम 5 (ड.) की ओर भी आकर्षित किया ताकि यह तर्क दिया जा सके कि एजेंसी और अन्य सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि शर्तों के दौरान और समझौते की समाप्ति पर गोपनीयता दायित्वों को बनाए रखा जाए । इसलिए उनका कहना है कि यह जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 8 (च) के दायरे में आएगी और अनुबंध छूट खंड के तहत आएगा ।

12. पार्टियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया ।

13. आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च)8 (1) (घ) और 8 (1) (ड.), आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण)

अधिनियम, 2016 की धारा 23 (1), 23 (2) (ड), 23 (स) और 54 (2) (प) औरआधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 के विनियम 3 (1), 3 (2) (ड), 3 (2) (ठ) और 5 (ड.) को नीचे पढ़ा गया हैः

आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च)8 (1) (घ) और 8 (1) (ड.)

2(च) "सूचना" से किसी रूप में कोई भी सामग्री अभिप्रेत है, जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल शामिल हों । किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त किया जा सके ।

8(1)(घ) वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी, जिसका प्रकटीकरण किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देता है।

8(1)(ड.) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का समाधान नहीं हो जाता है कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देता है।

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 23 (1), 23 (2) (ड), 23 (2) (स) और 54 (2) (प)

23(1) प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और

प्रणाली विकसित करेगा और उसका प्रमाणीकरण करेगा।

23(2)(ड) इस अधिनियम के तहत डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करना।

23(2)(स) (व्यक्तियों, पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सुविधा केंद्र और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

54(2(प) धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ड) के तहत डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं।

आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 के विनियम 3 (1), 3 (2) (ड), 3 (2) (थ) और 5 (ड.)

3(1) प्राधिकरण, अन्य बातों के साथसाथ प्राधिकरण - और इसके कर्मियों द्वारा अपनाए जाने वाले तकनीकी और संगठनात्मक उपायों तथा प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसी, अनुरोध करने वाली संस्थाओं और प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियों द्वारा नियुक्त एजेंसियों, सलाहकारों, परामर्शदाताओं और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को निर्धारित करते हुए एक सूचना सुरक्षा नीति विनिर्दिष्ट कर सकता है।

3(2)(ड) धोखाधड़ी की रोकथाम और धोखाधड़ी के मामले में प्रभावी उपचार के लिए उपाय।

3(2)(थ) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एजेंसियों, सलाहकारों, परामर्शदाता या अन्य व्यक्तियों के साथ समझौतों या व्यवस्थाओं में सुरक्षा और गोपनीयता को शामिल

करना।

5(ड.) यह सुनिश्चित करें कि अवधि के दौरान और समझौते की समाप्ति पर गोपनीयता के दायित्वों का निर्वहन किया जाए ।

14. आर. टी. आई. अधिनियम की उपर्युक्त धारा 2 (च) के अवलोकन में यह प्रावधान है कि "सूचना" का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है, जिसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित अनुबंध शामिल हैं, जिन्हें किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त किया जा सकता है। यह विवाद का विषय नहीं है कि यू. आई. डी. ए. आई. एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जिससे सूचना मांगी जाती है और इसलिए, यू. आई. डी. ए. आई. स्पष्ट रूप से आर. टी. आई. अधिनियम के दायरे में आता है।

15. इसलिए, यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा किसी बाहरी संगठन के साथ किए गए अनुबंध को भी "सूचना" माना जाएगा जो आर. टी. आई. अधिनियम के दायरे में आएगा। शिकायत से निपटने के उद्देश्य से यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा किसी बाहरी संगठन के साथ किया गया अनुबंध इसलिए, इसकी ओर से निवारण वह जानकारी है जो आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रदान की जा सकती है और दी भी जानी चाहिए, जब तक कि यह जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 में प्रदत किसी अपवाद के तहत नहीं आती है।

16. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (घ) में यह प्रावधान है कि वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित ऐसी जानकारी, जिसका खुलासा किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा, को आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत दी गई जानकारी की परिभाषा के दायरे से छूट दी गई है। यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि व्यापक सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी

जानकारी का खुलासा किया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा शामिल न हो जिससे किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुँचाने कर उसको प्रभावित कर सकती हो।

17. आधार अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है कि यू. आई. डी. ए. आई., जो आधार अधिनियम के तहत प्राधिकरण है, व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करेगा और इस अधिनियम के तहत उसका प्रमाणीकरण करेगा और इस उद्देश्य के लिए, यह विनियमों के माध्यम से, डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट कर सकता है। इसमें व्यक्तियों, पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सुविधा केंद्र और शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करना है। उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए विनियमन की शक्ति आधार अधिनियम की धारा 54 के तहत दी गई है।

18. 2016 के विनियमों में कहा गया है कि यू. आई. डी. ए. आई. को एक सूचना सुरक्षा नीति निर्दिष्ट करनी चाहिए जो प्राधिकरण और उसके कर्मियों द्वारा अपनाए जाने वाले तकनीकी और संगठनात्मक उपायों के साथ-साथ एजेंसियों, सलाहकारों, परामर्शदाता और अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती है। यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा नियुक्त अन्य सेवा प्रदाता । विनियमन 3 (2) (ड) में प्रावधान है कि सुरक्षा नीति में धोखाधड़ी की रोकथाम और धोखाधड़ी के मामले में प्रभावी उपायों के लिए प्रावधान होना चाहिए।

19. उपरोक्त के निपटारे के बाद, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो छोटा मुद्दा उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या यू. आई. डी. ए. आई. को अनुबंध का खुलासा करने का निर्देश देने से कुछ ऐसी जानकारी का खुलासा हो सकता

है जो वाणिज्यिक गोपनीयता , व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा और किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान कर सके ।

20. केंद्रीय सूचना आयोग ने यू. आई. डी. ए. आई. को यू. आई. को यह निर्देश दिया कि डी. ए. आई. के लिए शिकायत निवारण कार्य का प्रबंधन करनेवाली बाहरी संगठन का नाम उपलब्ध कराये। यह न्यायालय ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि प्रत्यर्थी और तीसरे पक्ष के बीच किए गए अनुबंध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत क्यों नहीं दिए जा सकते हैं । अनुबंध, निविदाओं के अनुसार किए गए हैं और इसलिए, यह आवश्यक है कि इन अनुबंधों को प्रदान करने के तरीके के बारे में पूरी पारदर्शिता हो। याचिकाकर्ता ने उन व्यक्तियों का विवरण नहीं मांगा है जिन्हें बाहरी संगठन संभालेगा। हालांकि, विनियमन 3 (2)(ड) का पठन बाध्य करता है कि सुरक्षा नीति कर्मियों के साथ सूचना प्रकटीकरण समझौतों में प्रवेश करने की आवश्यकता बताये ।

21. इस न्यायालय की राय है कि यू. आई. डी. ए. आई. और बाहरी संगठनों के बीच किए गए सभी समझौते जो यू. आई. डी. ए. आई. के शिकायत निवारण तंत्र के प्रबंधन के लिए कर्मियों के साथ किए गए हैं, गैर-प्रकटीकरण समझौतों और उन व्यक्तियों के विवरण को छोड़कर प्रदान किए जा सकते हैं जो समझौते के तहत शामिल होंगे । एजेंसियों द्वारा गोपनीयता केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रखी जानी चाहिए कि व्यक्तियों का विवरण किसी तीसरे पक्ष को प्रकट न किया जाए।

22. पूरे अनुबंध को गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है और समझौतों का खुलासा करने में कुछ भी अनुचित नहीं है, क्योंकि हाल ही में इस तरह के उद्यमों में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति शामिल हुई है। इसके अलावा, पारदर्शिता सुशासन का कोर बिंदु है, सरकार के कामकाज में दक्षता तथा प्रभावशीलता को बढ़ावा देती है। उपरोक्त विवरणों को समझौते

द्वारा संशोधित किया जा सकता है और समझौते की प्रतियां, ऐसे हिस्सों को संशोधित करने के बाद, याचिकाकर्ता को प्रदान की जा सकती हैं।

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश को तदनुसार संशोधित किया गया है।

24. रिट याचिका का निपटारा लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ किया जाता है।

न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद

05 अक्टूबर, 2023
एस. जाकिर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*